उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र में वन अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्ग

490. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री 11 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 187 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) वन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र में अब तक कितने मोटर मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोटद्वार-कालागढ़ मोटर मार्ग, जिसमें 207 हैक्टेयर वन भूमि शामिल है, को स्वीकृती दे दी गई है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) शेष 115 प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र के मोटर मार्गों से संबंधित 366 प्रस्तावों को अब तक मंजूरी दी है। जिलावार अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या निम्नलिखित है:—

1. अल्मोड़ा	83
2. बागेश्वर	01
3. नैनीताल	30
4. ऊधमसिंह नगर	01
5. पिथौरागढ़	73
6. चमोली	93
7. पौड़ी गढ़वाल	16
8. टिहरी गढ़वाल	43
9. उत्तरकाशी	50
10. देहरदून	30
कुल	366

(ख) टिहरी गढ़वाल जिले में कोटद्वार—कालागढ़ मोटर मार्ग के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 16.01.96 को 63.893 हैक्टेयर वन भूमि उपयोग में लाने हेतु प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात् राज्य सरकार से 24.1.1996 को कतिपय जरूरी ब्यौरा मांगा गया था तथा दिनांक 27.5.1996, 24.11.1998 और 9.2.1999 को अनुस्मारक भी भेजे गए थे। राज्य सरकार से सूचना की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना भेजे जाने पर मंत्रालय द्वारा अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

(ग) 115 प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:—

(1) 4 प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दी गई है।

(2) 3 प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में मंजूर किया गया है।

(3) राज्य सरकार से निर्धारित समय के भीतर सूचना न मिलने के कारण 52 प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया है।

(4) 5 प्रस्तावों को गुण-दोष के आधार पर नामंजूर किया गया है।

(5) 3 प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है।

(6) 4 प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(7) 44 प्रस्तावों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

Funds for Orissa Zoo Animals

491. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "No funds to feed Orissa zoo animals" which appeared in the Times of India of January 2, 1999;

(b) what precise role his Ministry plays in managing/arranging funds to State Governments for management of zoos and whether the Ministry has intervened in the matter of ensuring funds to the Orissa Government; and

(c) what are the reasons for non-availability of funds for Nandankanan Zoo animals?